

242

30 AUG 2019



GENERAL STUDIES (Module - 8)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

DTVF/19 (N-M)-M-GS18

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

Name: Abhik Prasad

Mobile Number: _____

Medium (English/Hindi): Hindi

Reg. Number: * 7100

Center & Date: MKN 30 Aug

UPSC Roll No. (If allotted): 590766

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

There are TWENTY questions printed both in HINDI and ENGLISH.

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्ता द्वारा भरा जाए (To be filled by Evaluator only)

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

www.drishtias.com

Contact: 8750187501, 8448485517

खंड - क/ SECTION - A

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

1. सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 की प्रमुख विशेषताएँ कौन-सी हैं? यह विधेयक देश की पारदर्शी शासन व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है? (150 शब्द) 10

What are the key features of the Right to Information (Amendment) Bill 2019? How does the Bill affect the transparency regime in the country? (150 words) 10

भारत संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत
सुप्रीमकोर्ट ने सूचना के अधिकार अधिनियम
को आवश्यक माना था। (इंडियन एक्सप्रेस के)

सूचना के अधिकार अधिनियम का
रूपगत मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS)
की प्रभावी मांग के स्वतंत्र हुआ

प्रमुख विशेषताएँ Bi

① हाल के अधिनियम में संशोधन द्वारा सरकार
ने सूचना आयुक्त से संबंधित नियुक्ति,
वेतन भत्ते, इत्यादि संबंधी प्रावधान
को केन्द्र सरकार के अधीन रखा
जाएगा है।

② सरकार का तावा है कि नूँकि मुख्य
सूचना आयुक्त
का पद वैधानिक है अतः मुख्य
निर्वाचित आयुक्त (जोकि सर्वैधानिक)
के बराबर अधिकार नहीं दिए
जा सकते

इसका पारदर्शी शासन व्यवस्था पर प्रभाव


उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

1. सूचना आयुक्त की नियुक्ति का
राजनीतिकरण होगा।

→ फलतः निष्पक्षता प्रभावित होगी
→ पारदर्शी फसलों के बजाय
सरकार पक्षीय फसलों होंगे।

2. सुशासन की अवधारणा पर चोट



3. पारदर्शिता की अवधारणा प्रभावित होगी
क्योंकि RTI एक्ट के नियमों में
पहले से ही खासियाँ (डी, PTO
की नियुक्ति नहीं) विधान है।

श्री ARC द्वारा RTI में
पारदर्शिता की कुंजी कहा है अतः
RTI में किसी भी प्रकार का नकार
परिवर्तित पारदर्शिता और सुशासन
वितरित होगा

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिये। सामान्यतः संशोधन प्रक्रिया की आलोचना क्यों की जाती है? (150 शब्द) 10

Describe the procedure of amendment of the Constitution of India under Article 368. Why this amendment procedure has been often criticized? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

~~के~~ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368
में संविधान संशोधन प्रक्रिया का
उल्लेख है।

A- 368

सामान्य मामले

जिनमें सिर्फ विशेष
वृद्धत की आवश्यकता

उदाहरण

↳ कार्यपालिका संबंधी
प्रवधान संघाति

विशिष्ट मामले

विशेष वृद्धत
तथा राज्य राज्यों
से सम्बंधित

Ex: राष्ट्रपति या
न्यायपालिका
संबंधी
प्रवधान
ए.ए.

आलोचना का आधार

① जाटिल वर्गीकरण → कुछ मामले सिर्फ
विशेष वृद्धत तथा
कुछ में राज्यों के सम्बंधित

की जरूरत

2. कठोर प्रिया

→ राज्य सभा और लोक सभा क्षेत्रों में विशेष बहुमत कठोर प्रिया है।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

3. 'जनहित का प्रत्येक विषय जनहित याचिका का विषय नहीं हो सकता है'। टिप्पणी कीजिये।

(150 शब्द) 10

'Every matter of public interest cannot be a matter of public interest litigation'. Comment.

(150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हार्शिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

जनहित याचिका की शुरुआत
P.N भगवती के न्यायिक नवाचारों
के क्रम में हुई। जिसने न्यायिक
सक्रियता को बढ़ावा दिया।

हाल ही बनी अत्यधिक
PIL की संख्या ने इस ओर
ध्यान आकर्षित किया है।

क्या जनहित का प्रत्येक विषय PIL
का विषय हो सकता है।

पक्ष	विपक्ष
<p>जनहित का तात्पर्य ही है। कि मामले में हस्तक्षेप करना जारी है ताकि वंचित वर्गों की आवाज सुनी जा सके</p>	<p>जनहित से जुड़ा प्रत्येक मुद्दे का निर्धारण का कार्य न्यायपालिका के वजाय कार्यपालिका और विधायिका का है</p>

② कभी कभी सरकार
वोट बैंक या राजनीतिक
बाधकताओं के
खलते पुर्धार नहीं
कर पाती है।
अतः PIL आवश्यक

③ ट्रांसजेंडर समता
असे सौवेदनशील
अंत मानवता मुक्त
मुद्दों पर मायामुक्ति
को निर्णय देना
आवश्यक होता है
क्योंकि इनकी आवाज
नहीं सुनी जाती।

② प्रत्येक मामले में
उद्देश्य न्यायिक
अतिक्रमण की सूची
में आना

③ शक्ति के पुष्टकरण
सिद्धांत को ठेस
पहुंचेगी।

④ सरकार बहुमत की
आकांक्षा का प्रतिनिधित्व
करती है। अतः उसे
संतुष्ट करने की
जिम्मेदारी सरकार की
होनी चाहिए

सारांशतः PIL पर अत्यधिक
निर्णयन जहाँ एक तरफ न्यायिक अतिक्रमण
को बहा सकते हैं। तो वहीं वांचित
कार्य हेतु इनकी आवश्यकता है।
अतः यहाँ एक तर्क की आवश्यकता है

4. भारत में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण कई सीमाओं से ग्रस्त है। विवेचना कीजिये।

(150 शब्द) 10


Parliamentary control over executive in India is riddled with several limitations. Discuss.

(150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

भारत में संसदीय शासन प्रणाली
है। जिसमें कार्यपालिका ~~की~~ विधायिका
के माध्यम से नियंत्रित होती है।



कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण

① अविश्वास प्रस्ताव (A-75)

↳ कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी

② निंदा प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव,

↳ आदि संसद की गरिमा को महत्व

③ प्रश्न काल, रत्न्य काल, भाषे-घण्टे की चर्चा

↳ सरकार की जवाबदेहिता बताते हैं

④ संसदीय समितियाँ

↳ कानून निर्माण, मुद्दों सुकझाने की

सीमाएं

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

- ① अविश्वास प्रस्ताव के चलते सांसद/विधायकों की खरीद-फरोख्त (हासिलिंग) दल-बदल की संभावना, बनी रहती है।
उदाहरण - कर्नाटक और गोवा विधान सभा
- ② लोक सभा और राज्य सभा का सीधा प्रसारण से राजनेता दिवावे का प्रसन्न प्रतिक्रम करते हैं। वास्तविक बहस कम
- ③ संसदीय समितियाँ → बहता राजनीतिकरण
विषयों को → सदस्यों की अनुपस्थिति
संसदीय समिति को न सीपा जात

समग्रतः संसदीय व्यवस्था को सुचारु ढंग से चलावित करने हेतु यह जरूरी है। कि कार्यपालिका की प्रभावशालिता अत्यधिक है।

5. राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच विभेदन कीजिये। सरकार की नीतियों को प्रभावित करने हेतु दबाव समूहों द्वारा कौन-से प्रमुख तरीके अपनाए जाते हैं? (150 शब्द) 10

Distinguish between political parties and the pressure groups. What are some of the prominent ways in which pressure groups try to influence the policies of the government? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

दबाव समूह की प्रक्रिया यूँ तो राजनीतिक दलों जैसी प्रतीत होती है किन्तु इनमें भिन्नताएँ विद्यमान हैं

राजनीतिक दल	दबाव समूह
1. चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से संसद में प्रतिनिधित्व रखते हैं।	2. साधारणतः चुनाव नहीं लड़ते, हालांकि राजनीतिक दलों को प्रथम समर्थन प्रदान कर सकते हैं।
2. सत्ता पक्ष के विरोधी राजनीतिक दल ऐसे माँगें मनवाने हेतु दबाव समूहों से समर्थन ले सकते हैं।	2. मूल कार्य सरकार से अपनी माँगें मनवाने हेतु दबाव बनाना।
3. सामान्यतः संगठित स्वरूप से युक्त होते हैं।	3. सामान्यतः असंगठित स्वरूप।
4. राजनीतिक दल जनता के कोट प्राप्त करने हेतु उनसे नजदीकी बनाते हैं।	4. लाबिंग, भ्रष्टाचार, सत्याग्रह जैसे अनेक तरीके अपनाते हैं।

तरीके

① आंदोलन - किसी मुद्दे पर आंदोलन सरकार को झुकाने के लिए अग्रणी कृषक संघों के माध्यम से चलाए जाते हैं।
आंदोलन - लोकपाल विद्वान

② भूख हड़ताल / सत्याग्रह / धरने

→ किसानों द्वारा अपनी मांग मानवाने हेतु ऐसे प्रयास
उदाहरण - मांझी (भारतीय किसान यूनियन)

③ लॉबींग

→ व्यावसायिक स्तर पर नीतियाँ प्रभावित करने हेतु
उदाहरण, FICCI, गिरा राईफ

④ द्वि-पक्षीय आंदोलन

→ आरक्षण संबंधी जाट आंदोलन

सारांशतः दबाव समूह भारतीय राजनीति व्यवस्था में सरकारी भूमिका का विवरण करते हैं।

6. जहाँ एक ओर सरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2019 भारत में सरोगेसी से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करता है, वहीं दूसरी ओर इसकी कमियों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। चर्चा कीजिये।
(150 शब्द) 10

While the Surrogacy (Regulation) Bill 2019 does address various issues relating to surrogacy in India, its drawbacks can not be overlooked. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

सरोगेसी से तात्पर्य इसी सेवा से
है। जिसमें किसी अन्य महिला द्वारा
किसी पुरुष के श्रूण निषेचन के
माध्यम से अपने गर्भ में बच्चा
पाला जाता है।

सरोगेसी ~~बिना~~ 2019 ~~के~~ द्वारा निम्न
मुद्दे संबोधित किए गए हैं

1. परोपकारी सरोगेसी

- अब सिर्फ जरूरत मंद लोगों को ही
सरोगेसी सेवा लेने हेतु अनुमति
- व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध
- शादी के बाद 5 वर्ष तक बच्चा
न लेने पर ही अनुमति
- या दुर्लभ रोगों से पीड़ित महिला
के लक्ष्य में ~~अनुमति~~ अनुमति

2. सेरोगेट मटर के बोधन की समानता

- पहले पूरा क्षेत्र अनियमित था अब सेरोगेट मटर संबंधी पूरा जगह रहेगा
- धन आधारित सेरोगेसी प्रविबंधित बच्चे को लेना - दंपति का मातृगी सम्पत्ति होगा

कामियाँ

- 1) सेरोगेसी के माध्यम से भारत को बेहतर आर्थिक अवसर प्राप्त होते थे।
- 2) सेरोगेट मटर प्राप्त करने में कठिनाई क्योंकि सेरोगेट मटर का निरंतर संबंधी होना आवश्यक है।
- 3) अभी भी अर्थव्यवस्थात्मक रूप से होने वाली सेरोगेसी रोकने का प्रयास नहीं किया जाता।

निष्कर्ष: सेरोगेसी संबंधी सुविधाओं मानवता के सौभाग्य में होने चाहिए ताकि शारीरिक सुख से बचने या धन के माध्यम से वही सुविधाओं पर प्रविबंध होना चाहिए।

7. यद्यपि स्थानीय चुनाव लड़ने के लिये न्यूनतम शिक्षा की अनिवार्यता एक प्रगतिशील कदम है, किंतु इस कदम के साथ मौजूदा चुनौतियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। टिप्पणी कीजिये।

(150 शब्द) 10

While mandating minimum education criteria for contesting local elections is a progressive move, the associated challenges with this move can not be ignored in the current scenario. Comment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा
और राजस्थान (अब हरियाणा) जैसे राज्यों
ने स्थानीय चुनाव में चुनाव लड़ने हेतु
शिक्षा की अनिवार्यता निर्धारित की थी।

प्रगतिशील कदम

1. जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले
प्रतिनिधी का जागरूक, शिक्षित होना
अति आवश्यक
2. विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियोषयन
में शिक्षित प्रतिनिधी अधिक महत्वपूर्ण
हो सकता है।
3. जन सहभागिता बढ़ाने, अध्याचार कम
करने, सेवा सुधुदगी को बढ़ाने
में, असमानता कम करने में
शिक्षित प्रतिनिधी अहम योगदान दे
सकता है।
1. शिक्षा साक्षरता दर बढ़ाने में

एक इंसैटिव के रूप में कार्य करेगा

चिंतारं

1. शिक्षित और समझदार दो अलग-अलग अवधारणा, संभव है कि एक असाक्षर व्यक्ति साक्षर व्यक्ति से अधिक समझदार हो
2. भारत की अभी भी ~~25~~ 25% जनसंख्या निरक्षर है।
3. अनुभव के बजाय शिक्षा पर अधिक बल। जबकि कभी-कभी अनुभव ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।

आगे की राह

① शिक्षा संबंधी प्रावधान प्रगतिशील पक्ष किन्तु किसी भी चुनाव लड़ने से बेचिंत बना भारतीय लोकतंत्र के विरुद्ध है। कहते होंगे कि ऐसे निरक्षर प्रतिनिधियों के ~~देखना~~ तथा प्रत्याक्षियों हेतु साक्षरता की अवस्था की जाए। सभी इसे समावेशी ढंग से लागू किया जा सकेगा।

8. कठोर दंड देने के आडंबर में हमें पोक्सो (POCSO) अधिनियम के क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं से ध्यान नहीं भटकाना चाहिये। POCSO (संशोधन) विधेयक 2019 के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिये। (150 शब्द) 10

The rhetoric over severe punishments should not deflect our attention from the problems related to implementation of POCSO Act so far. Discuss in the context of POCSO (Amendment) Bill 2019. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

हाल के वर्षों में बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार संबंधी अपराध दुगने हो गए हैं जोकि बच्चों की सुश्रद्धा को दर्शाता है।

जिसके चलते POCSO अधिनियम के प्रावधानों को कठोर बनाया गया है

1. 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे/बच्ची से यौन शोषण/ बलात्कार की अधिकतम सजा को बढ़ाकर 3 फांसी कर दिया।

2. बलात्कार (नाबालिग) के मामले में अधिकतम सजा - 20 वर्ष

आडंबर में


1. कानून का अनुपालन न होना

2. सजा मिलने में अत्यधिक देरी

→ वास्तविक मामलों से अत्यधिक कम रिपोर्टिंग
→ हाल के उन्नाव विधायक मामला, कडुआ मामले में प्रशासनिक तंत्र की अक्षमता सर्वविदित है जिसे सुधारने की आवश्यकता है।

सुधार कहाँ हो

→ प्रशासनिक तंत्र / पुलिस तंत्र



② फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से पीड़ित को त्वरित न्याय

सारांशतः पोडसो अधिनियम में परिवर्तन सराहनीय है। किन्तु इसके अन्तर्गत परिणाम हेतु पामिक, ऑट पुलिस तंत्र की कुदृष्टता पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

9. हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन (ओ.आई.सी.) की बैठक में भारत की भागीदारी को 'ऐतिहासिक' क्यों कहा गया है? भारत के लिये इसका क्या भू-राजनीतिक महत्त्व है? (150 शब्द) 10

Why the recent participation of India in the Organization of Islamic Cooperation (OIC) meeting has been termed 'historic'? What is its geopolitical significance for India? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

हाल ही में पाकिस्तान के खोर विलोच
के वीबजूड OIC में भारत की भागीदारी
को हरी झंडी मिली।

ऐतिहासिक क्यों

- ① इससे पूर्व जब हमने प्रथम OIC बैठक में भाग लेने का प्रयास किया था तब भारत को पाकिस्तान विलोच के चलते 6 शर्मिंदगी के साथ लौटना पड़ा था
- ② यह भारतीय कूटनीति की बड़ी असफलता थी
- ③ भारत में सर्वाधिक मुस्लिमों की संख्या में इसका स्थान पर है।

भू-राजनीतिक महत्व

1. मुस्लिम नुल देश जो सामान्यतः हर कुदडे पर पाकिस्तान का साथ देते थे। उसीने भारत का साथ दिया जो कि दिखाता है कि भारत का भू-राजनीतिक महत्व अत्यधिक है।
2. पाकिस्तान के विरोध को सभी देशों ने नकारा
3. OIC देशों में ऊर्जा सहायक समूह देश - अतः भारत की ऊर्जा सुरक्षा हेतु आवश्यक था।
4. हिंद महासागर क्षेत्र में बढती भारत की शक्ति को निरुपित करता है।

सारांशतः पाट देशों द्वारा भारत को प्रवेश देना भारत की विश्व शक्त में बढती शक्ति के प्रदर्शित करती है। भारत को आगे भी OIC में पूर्ण सदस्यता का प्रयत्न करने हेतु आवश्यक प्रयास करने चाहिए।

10. हाल ही में विदेश मंत्रालय ने एक समर्पित भारत-प्रशांत विभाग की स्थापना की है। इस संदर्भ में भारत के लिये भारत-प्रशांत क्षेत्र के भू-राजनीतिक महत्त्व का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10


Recently the Ministry of External Affairs has setup a dedicated Indo-Pacific division. In this context examine the geo-political significance of the Indo-Pacific region for India.

(150 words) 10

हाल ही में इंडो पैसिफिक का बढ़ता महत्व निम्न रूप में दिखता है।

1. भारत - प्रशांत विभाग की स्थापना
2. USA द्वारा एशिया पैसिफिक से जगह इंडो पैसिफिक शब्द
3. एवार्ड डीप कमाण्ड का नाम बदल इंडो पैसिफिक कमाण्ड


भारत के लिए भारत प्रशांत क्षेत्र का भू - राजनीतिक महत्व



2. सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन

- स्वतंत्रता बनाना
- अधिकतर तेल व वस्तु व्यापार का आवागमन हेतु ~~इंडो पैसिफिक~~ इंडो पैसिफिक महत्वपूर्ण

3. समुद्री सुरक्षा, आंतरवाद, पीएफसी से इंडो पैसिफिक को मुक्त करना



समग्रतः 'इंडो पैसिफिक संज्ञा में' भारत का कदम उभार भारत का मजबूत क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरना प्रकट है। आने वाले वर्षों में यही बदल भारत को एक महाशक्ति के रूप में आगे ले जाये में सक्षम होगा।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

11. भारत में हाल ही में कौन-से चुनाव सुधार लागू किये गए हैं? आपके अनुसार चुनाव सुधार संबंधी किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाना अभी शेष है? (250 शब्द) 15

What are some of the recent electoral reforms introduced in India? Which issues, according to you, still remain to be addressed as far as electoral reforms are concerned?

(250 words) 15

लोकतांत्रिक देश में चुनाव का महत्व अनुलनीय होता है। चुनावों के माध्यम से ही जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है।

हाल के चुनाव सुधार

- ① फंडिंग संबंधी
- नकद के रूप में दी जाने वाली फंडिंग सीमा को 20000 से घटाकर 2000 किया
 - इलेक्ट्रॉनिक वॉट्स के माध्यम से फंडिंग व्यवस्था में पारदर्शिता लाने व काला धन रोकने का प्रयास

- ② राजनैतिक अपराधीकरण रोकने संबंधी
- लिली थॉमस केस द्वारा RTI धारा 8(1) को भंग
 - अब सजा मिलते ही सदस्यता खत्म
 - RPA - अल धारा 8(3): 2 साल से अधिक सजा पर 6 साल का गठन
 - 12 फाक्टर टैंक कोर्ट मिलेगा

L सुप्रीम कोर्ट द्वारा ~~स्वतंत्र~~ ^{अखिलाय} न्यायपालिका को प्रतिनिधियों के मामले में 1 साल के भीतर विपत्तों में निदेश

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must write on this margin)

चुनाव प्रक्रिया संबंधी सुधार

- EVM की विश्वसनीयता बढ़ाने हेतु VVPAT
- मॉडल गोट और कैंडिडेट का सुचारु नियंत्रण

भावी सुधारों की उपरेखा

1 राजनैतिक दल के स्तर पर

- अपराधीकरण को दलों के स्तर पर रोकने पर बह/ 19 की लोक सभा में 43% सांसदों ~~अपराधीकरण~~ पर केस दर्ज हैं
- आंतरिक लोकतंत्र की जरूरत
- RTI के अंतर्गत लाया जाए

2 महिला को 33% आरक्षण संबंधी विधे को पास करने की जरूरत

चुनाव आयोग संबंधी सुधार

- अन्य 2 EC को संवैधानिक संरक्षण
- मुख्यतः चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने हेतु कोर्ट नियंत्रण व्यवस्था तथा संवैधानिक संरक्षण हो
- चुनाव आयोग का सचिवत्त्व अलग हो

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

फंडिंग के तंत्र

- पारदर्शिता बनाने की आवश्यकता
- कारपोरेट फंडिंग को बंद
- State फंडिंग को अपनाया जा सकता।

वोटिंग संबंधी

- टोटलाइजर मशीन अपग्रेड
- सभी EVM → VVPAT से लिंक

सारांशतः सुदृढ लोकतंत्र को बनाने हेतु विभिन्न आयोग, 2nd ARC, विधिआयोग, संविधान समीक्षा आयोग इत्यादि के


भी इस तरीके के सुझाव दिए हैं जिन्हें अपनाने से ही चुनाव प्रणाली को अधिक सशक्त बना सकते हैं।

12. भारत में मानव अधिकार आयोगों द्वारा सामना की जाने वाली संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं पर चर्चा करते हुए इन संस्थानों को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु उपाय सुझाइये। (250 शब्द) 15

While discussing structural and practical limitations faced by Human Rights Commissions in India, suggest measures to strengthen these institutions. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के माध्यम से किया गया।



संरचनात्मक कमियाँ

1. मानव अधिकार आयोग में अल्पसंख्यक आयोग से प्रतिनिधित्व का अभाव
2. आयोग के अन्य सदस्य सूचना योग्यताओं को निर्दिष्ट नहीं किया गया
3. आयोग को 1 वर्ष से पुराने मामले पर कार्यवाही का अधिकार नहीं है।

4. अध्यक्ष के रूप में सुजीतमोहि मुख्य
न्यायाधीश सर्वोच्च जावधान व सीमित
रहित है अवसर

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

व्यावहारिक

1. स्वतः संग्रह लेने की शक्ति नहीं
2. अपने निर्णय को प्रवर्तित करने
सर्वोच्च शक्ति का अभाव
3. फंडिंग के त्तर पर अधिक
फंड के माध्यम कुशल कार्यवाही
अधिक सुविधाओं की आवश्यकता

सुझाव देते उपाय

1. सुजीतमोहि के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
H.L. दत्त ने मानवाधिकार आयोग
को देतहीन सर्व की उपाधि दी
जोकि इसकी शक्तियों की सीमाओं
को दशति है।
2. स्वतः संग्रह लेकर कार्यवाही
करने की शक्ति प्रदान की
जाए

3. निर्णय को लागू करने संबंधी शक्ति दी जाए। निर्णय न पालन पर अकामना संबंधी ण्ड से या अधिकार हो

4. 1 वर्ष के पुत्रों मामलों संबंधी प्रावधान ~~हटा जाये~~ में ना कार्यवाही करने संबंधी प्रावधान हटा जाये

समग्रतः मानव अधिकार आयोग के सुदृढीकरण की आवश्यकता अत्यधिक है ताकि अ. 21 के तहत जरिमा मय जीवन के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके तथा प्रस्तावना के अंतर्गत आर्थिक राजनैतिक सांसाध्य न्याय की परिकल्पना को पूर्ण किया जा सके

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

13.

भारत के प्रधानमंत्री ने निरंतर 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रणाली का आह्वान किया है। इस संदर्भ में भारत जैसे देश में एक साथ चुनाव आयोजित कराने के लाभों, चिंताओं और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

The Prime Minister of India has repeatedly called for a system of 'One Nation, One Election'. In this context discuss the advantages, concerns and challenges in holding simultaneous elections in a country like India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हार्शिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

एक राष्ट्र, एक चुनाव, प्रणाली
से तात्पर्य लोकसभा और विधानसभा
चुनावों को एक साथ कराने से है।
ध्यातव्य है कि भारत में 1967 तक
चुनाव साथ ही होते रहे। हाल ही
में प्रधानमंत्री जी द्वारा इस मुद्दे को
पुनः उठाया है।

लाभ

- ① प्रशासनिक कार्यकुशलता : बार-बार आचार
संहिता लगाने से होने
वाले नीतिगत कार्यों में व्यवधान कम
होगे। और गवर्नेंस डेफिशिएंसी की समस्या
कम होगी।
- ② लागत : एक साथ चुनाव लागत को
लाभान्वयित कर सकता है।
- ③ सामाजिक समरसता / सौहार्द
↳ वोट बैंक की राजनीति (जाति, धर्म) इत्यादि
के चलते सामाजिक वर्गों में

तनाव बढ़ता है।

4. भ्रष्टाचार / काले धन की समस्या को
लगातार लगेगी ध्यातव्य है कि चुनाव
प्रचार खर्च में काले धन का
अत्यधिक प्रयोग होता है।

5. बार-बार चुनाव से नेता हमेशा-युवावी
की मूड में रहते हैं फलतः सीएस
की कार्यकुशलता घटती है।
Ex: प्रधानमंत्री द्वारा राज्य विधान सभा
चुनाव में प्रचार

चिंतन

1. शंशीप मुड्डे और शब्दीप मुड्डों के
सम्मिलन की समस्या
2. बार-बार चुनाव नेतान्तों की
जबाबदेही में वृद्धि करने है।
3. एक साथ चुनाव हेतु अत्यधिक
सुरक्षा बहुत संबंधी आवश्यकता है।
4. EVM संबंधी अवसर-यतात्मक
आवश्यकता है।

चुनावियाँ

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

Q1 संवैधानिक

- अविश्वास प्रस्ताव संबंधी चुनावियाँ
- U-356 जनित राज्य सरकार विघ्न संबंधी चुनावियाँ

इस चुनावियों से निपटने हेतु संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी।

Q2 राज्यों के अतिरिक्त सहमति बनाना चुनावियों के अतिरिक्त एक साथ चुनाव हेतु कुछ राज्यों के कार्यालय कम - ज्यादा करने पर सक्ते हैं।

संसदीय समिति रिपोर्ट, 2nd ARC

रिपोर्ट आदि में भी एक साथ चुनाव की आवश्यकता ही की गई है। जिसे कमिशन तौर पर लागू किया जा सकता है। संवैधानिक विश्वास प्रस्ताव जैसे नवाचार अहम हो सकते हैं। इसके साथ ही अन्य चुनाव सुधार (अपराधीकरण, महिला सीट्स - 14%) पर भी गौर देना होगा।

14. आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य क्षेत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

The launch of Ayushman Bharat scheme is a significant step towards universal health coverage in India. Critically analyse. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must write on this margin)

अनुच्छेद 47 में स्वास्थ्य सेवकी

सुविधाओं उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है। पिछले वर्ष शुरू आयुष्मान भारत योजना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (U.H.C) को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

प्रावधान

1. SECC-2011 के अनुसार पिछड़े 10 करोड़ परिवारों को वृत्तीय व द्वितीयक स्वास्थ्य डेबत्राल में 5 लाख/वर्षिक स्वास्थ्य बीमा


2. 1.5 लाख हेल्थ & वेलनेस सेक्टर खोलकर निवारक स्वास्थ्य पर प्रमत्ति बल देना।

U.H.C प्राण में आयुष्मान की भूमिका

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

1. प्राथमिक स्वास्थ्य डेवलपमेंट में हेल्थ & वेलनेस सेंटर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
2. स्वास्थ्य सौवधी खर्च गरीब व्यक्ति के आउट ऑफ पॉकेट खर्च को बढ़ाते हैं। जोकि हर साल 5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ढकेल देता है। अतः गरीबी कम करने में अहम भूमिका



3. 10 करोड़ लोगों को शामिल करना ~~U.H.C~~ प्राण करने में बहतर कदम है।

पुनर्निर्माण

1. सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य डेप्यार्त पर बीमा राशि नहीं
2. सिर्फ हास्पिटल में लिमिटेड होने पर बीमा का लाभ जबकि सर्वाधिक खर्च 'क्वैड्रो' पर होता है। (60%)
3. अनैतिक चिकित्सा प्रवृत्तियों को विशेष प्रयत्न नहीं। उदाहरण हेतु हास्पिटल विह्वल होने हेतु अनावश्यक रिपोर्ट
4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय बीमा योजनाओं की विफलता - आयुष्मान की सफल होने की संभावना को दृष्टिगत बनाती है।

U.M.C को प्राप्त करना सतत विकास लक्ष्य - (SDG-3) हेतु अति आवश्यक है। आयुष्मान मिशन के साथ साथ, सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता बढ़ाकर, इम्यूनाइजेशन बढ़ाकर इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

15.


सरकार की संसदीय प्रणाली के गुण और दोष क्या हैं? भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाने के क्या कारण थे? (250 शब्द) 15

What are the merits and demerits of the parliamentary system of government? What were the reasons for adopting parliamentary system in India? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

संसदीय प्रणाली से तात्पर्य है
कि कार्यपालिका का चुनाव विधायिका
से होगा। ब्रिटेन संसदीय प्रणाली का
सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। भारत में भी
स्वतंत्रता का इसी ही अपनाना गया



गुण	दोष
1. कार्यपालिका और विधायिका के बीच अनावश्यक <u>जटिलता</u> की अनुपस्थिति होती है।	1. शक्ति के पृथक्करण का वास्तविक निर्माण नहीं हो पाता।
2. <u>विविध</u> की महत्व मिल पाता है।	2. योग्यता मंजूरियन में योग्यता से सम्झौता करना

3. अस्थिरता
~~कार्यपालिका का
 विद्यापिका में विश्वास
 खत्म होते ही
 सरकार गिर जाती
 है~~

पड़ता है। क्योंकि संसद
 सदस्यों से ही मंत्री
 बनाने की बाध्यता
 होती है।

3. जवाबदेहिता
~~सरकार विद्यापिका
 के प्रति जवाबदेह
 रहती है। फलतः
 निरंकुशता की संभावना
 खत्म होती है~~

3. अस्थिरता
~~कार्यपालिका का
 विद्यापिका में विश्वास
 खत्म होते ही
 सरकार गिर जाती
 है~~

उम्मीदवार को प
 हाशिये में नहीं
 चाहिये।
 (Candidate m
 write on this ma

अपनाने के कारण

1. सुपरिचितता : त्रिदेश उपनिवेश के
अंतर्गत चुनाव व्यवस्था
संसदीय स्वरूप से ही

2. सरलता पुस्त थी

→ जम्मा - निरसर थी (अधिकार)

→ अतः संसदीय प्रणाली अपना अधिक
उचित था

3. अत्यधिक विविधता

→ संसदीय प्रणाली में वैविध्य को सम्मान
दिना जाता है

~~निष्कर्ष~~

निष्कर्ष : अभी तक संसदीय
शासन व्यवस्था चुनाव रूप से चली
आ रही है जिसे और अधिक
व्यवहार्य बनाने हेतु इसे अधिक
से अधिक समावेशी और जनोन्मुख
बनाना चाहिए



उम्मीदवार को इस
हार्शिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

16. यद्यपि राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच एक स्वस्थ संबंध सुशासन के लिये अत्यंत आवश्यक है, परंतु व्यवहार में दोनों के मध्य कई संघर्षपूर्ण क्षेत्र विद्यमान हैं। चर्चा कीजिये।
(250 शब्द) 15

Though a healthy relationship between the political executive and the permanent executive is critical for good governance but in practice there are multiple conflict areas in the relationship between the two. Discuss.
(250 words) 15

सुशासन से तात्पर्य शासन की उत्कृष्टता से है। जिसमें विश्व बैंक अनुसार निम्न तत्वों का समावेश होना चाहिए



दोनों के मध्य स्वस्थ संबंध सुशासन को सुदृढीकरण कर लाने हैं।

1. बेहतर नीति निर्माण में राजनैतिक दार्पणता को प्रशासनिक अधिकारियों से सहयोग अपेक्षित होता है।

2. नीतियों के क्रियान्वयन में प्रशासन को प्रदत्त स्वायत्ता या राजनैतिक अहस्तक्षेप क्रियान्वयन की गुणवत्ता बढ़ायेगा फलतः सुशासन को बढ़ावा मिलेगा।

3. प्रशासन जनता और सरकार के बीच की कड़ी होती है। दोसफर, भ्रष्टाचार जैसे राजनैतिक अहस्तक्षेप सुशासन की गुणवत्ता प्रभावित करते हैं।

उम्मीदवार को इस
मार्ग में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)



drishti



संघर्ष पूर्ण क्षेत्र

① द्वैतवाद → मनमानी पूर्ण द्वैतवाद
सरकार बदलते ही द्वैतवाद

② अंतराचार → राजनीति प्रशासन गिबो जॉर्डन (कलेक्ट्री/सी)
अपने पैसे के प्रशासक से मेलजोल
कर ईमानदार प्रशासक का द्वैतवाद
होना

③ दोषारोपण → किसी नीतिगत विफलता या
अन्य विफलता का दोषारोपण
हम करते हैं

इन सभी समस्याओं को
समाप्त करने हेतु सिविल सेवा बोर्ड
का गठन किया जा सकता है

उम्मीदवार को इन
हाशिये में नही लिख
चाहिये।
(Candidate must
write on this margin)

17.

वैकल्पिक विवाद समाधान (ए.डी.आर.) तंत्र के कई लाभ होने के बावजूद भारत में इसकी संभावनाओं का पूर्णतः उपयोग करना शेष है। विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Despite having numerous advantages, the potential of Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanism remains underutilized in India. Analyze. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।


(Candidate must not
write on this margin)

वर्तमान में बढ़ते न्यायिक विलंबन की स्थिति ने A.D.R तंत्र की व्यवस्था को बहावा दिया है।

न्यायिक स्थिति

3.5 करोड़ मामले लंबित
 20% से अधिक रिक्तियाँ (अधीनस्थ मामलों में)

60 हजार SC.
50 लाख H.C में
3 लाख अधीन (



मध्यस्थता

दोनों पक्षों के मध्यस्थ के माध्यम से होने वाला समाधान तंत्र प्रचलित है।

आर्बिट्रेशन

पूर्व निर्धारित समझौते के आधार पर आपसी मामलों का निपटारा

सुलह

मध्यस्थता का ही एक प्रकार

लोक अदालत सबसे अधिक सफल
प्रति वर्ष 50 लाख मामले
निपटारे जा रहे।

न्याय पंचायत

ग्राम न्यायलय के माध्यम से

लाभ

1. कीमती समय की बर्बादी नहीं
त्वरित न्याय
2. अधिकांश मामलों में दोनों पक्ष
लाभ की स्थिति में रहते हैं।
3. न्यायिक प्रणाली से खचीली, समय-साध्य
प्रणाली का उपयुक्त विकल्प
4. वंचित वर्गों के अनुकूल
5. विदेशी निवेश आकर्षित करने
में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
6. मध्यस्थता की कुशल व्यवस्था
Ease of doing Business को बढ़ाती
है।

पुनर्निर्माण

1. विशेषज्ञता का अभाव
2. निर्णय अंतिम नहीं होता अतः पुनः मायिक प्रणाली में जाने का विकल्प
3. मध्यस्थता संबंधी संस्थागत तंत्र एवं आयोगों की अनुपस्थिति
4. अंतर्राष्ट्रीय अनुकूल प्रणाली नहीं।

B.N श्री कृष्णा समिति ने A.D.R प्रणाली की कुशलता संबंधी अनेक सुझाव दिए। ~~अनेक~~ सुझावों को अपनाकर ना केवल ADR तंत्र की व्यवस्था को बहाल किया जा सकता है बल्कि इसे अधिक व्यापक बनाया जा सकता है। A.D.R. की कुशलता आर्थिक व्यवस्था हेतु भी आवश्यकता है हाल का आविर्देशन और मध्यस्थता संशोधन विद्यमान में इन सभी बिंदुओं को शामिल किया जा सकता है।

18. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, भारत के लिये अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष प्रावधानों को रद्द करने के संभावित निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

While mentioning the key provisions of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act 2019, discuss the possible implications of scrapping of special provisions under Article 370 for India. (250 words) 15

मिदले महीने सरकार द्वारा संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में निम्न परिवर्तन किए।

1. A. 370 को तत्काल प्रभाव से निरस्त

2. A. 35 (v) को निरस्त
जोकि J&K के स्थायी निवासियों को परिभाषित करता था

3. जम्मू और कश्मीर विधान सभा मुक्त केंद्र शासित प्रदेश

4. लद्दाख → विना विधान सभा का केंद्र शासित प्रदेश

A. 370 अनुच्छेद को रद्द करने के अनुमानित निहितार्थ संसद के और संसद के दोनों ही सदन हैं

1. सकरात्मक

1. जम्मू & कश्मीर का एकीकरण शीघ्र भारत से बढेगी / और छूटा और अल्पता की अवधारणा मजबूत होगी।

2. केंद्र शासित प्रदेश बनने से विकास के अवसर सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रदान होंगे।

3. सुरक्षा → अरावली चलाने दोगी
अलगाववाद घटम हो सक्ता है
सीमापार आतम्बा से निपटने में सुइवता आरणी

4. आर्थिक → निवेश आकर्षित करने की अवसर
पर्यटन क्षेत्र का पुनरुद्धार हो सक्ता है।
आधुनिकीकरण से राजगार में वृद्धि की संभावना

हालांकि इस कदम के कुछ नकारात्मक परिणाम भी सामने आ सकते हैं

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

नकरात्मक

- न्यायालय से चुनौती मिल सकती है।
जुज H.C तथा S.C द्वारा A-370 को अपने स्वरूप में कफ़ी हट तक स्थायी माना है।
- 2. A-370 (3) के अनुसार उठो को हटाने से पूर्व विधानसभा (संविधानसभा) की मंजूरी लेनी आवश्यक थी जो नहीं ली गयी।
↳ अतः अविश्वास में बृद्धि हो सकती है।
↳ राजनैतिक स्तर पर क्षेत्रीय सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई होगी।
- 3. जुज नागरिकों से A-35(0) द्वारा विशेषाधिकार देने से वह प्रतिस्पर्धावादी रूप अपना सकते हैं।
फलतः सुरक्षा संबंधी चिंताएँ भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

सरकार द्वारा लिपा गया उपरोक्त कदम सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। वशतः हम जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास में ले / और वहाँ आर्थिक, सामाजिक विकास पर ध्यान दें।

उम्मीदवार को
हाशिये में नहीं
चाहिये।
(Candidate m
write on this m

19.

क्या आप इस मत से सहमत हैं कि मालदीव में एक नई सरकार की स्थापना के साथ ही भारत-मालदीव के बीच संबंधों में मतभेद समाप्त हो गया है?

(250 शब्द) 15

With the inauguration of a new government in Maldives, do you agree that the rough patch in the relationship between India-Maldives is over?

(250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

पिछले वर्ष मालदीव में हुई
चुनावों में सत्ता परिवर्तन हुई और
अब्दुल्ला यामीन की सरकार अल्पसंख्यक
हुई। ध्यातव्य यह कि अब्दुल्ली यामीन
सरकार पर चीन समर्थक होने और
भारत विरोधी होने के आरोप लगाए
गए थे।

भारत विरोधी तब → GMR का एअरपोर्ट
निर्माण का पट्टा रद्द
किया
बीजा संबंधी प्रावधान
कटोरे

चीन समर्थक → द्वीपों को चीन से रिवा
GMR Port का कोर्ट

नई सरकार - मोहम्मद - नासीर को
भारत समर्थक माना जाता

ही जैसा जीवन हाल ही
अपने विचारों से यह सब
भी मिया ही

→ क्या चीज की डोर डीप नीति
की आलोचना भी की है

→ भारत को प्राथमिकता दी
जा रही है

सारांश: ~~भारत~~ मालदीव
भारत के लिए अत्यधिक
शु-राजनैतिक महत्व का है

फलतः मालदीव की हिंस्रता
में केरीव स्थिति के महत्व
अहम कदम उठाते हैं आवश्यक


उम्मीदवार को
हाथिये में नहीं
चाहिये।
(Candidate m
write on this m

UNSC के सुधारों के प्रति भारत का क्या दृष्टिकोण है? इन सुधारों को लागू करने के लिए क्या कारण हैं?

What is India's perspective on the United Nations Security Council (UNSC) reforms? What are the reasons for bringing out these reforms?

(250 शब्द) 15
(250 words) 15

भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर की सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था का प्रतिनिधित्व करती है।




भारत का दृष्टिकोण : भारत UNSC में सुधारों का पक्षधर है और सुधार चाहता है।

- ① बढ़ती आर्थिक आवश्यकता
 - विकासशील देशों का तीव्र उभार हुआ है और विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व UNSC में नहीं है।

2) अफ्रीका से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।
जबकि UN के 70% कार्य अफ्रीका से संबंधित होते हैं।

उम्मीदवार को इस
हार्शिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

3) भारत - G-4 देशों के माध्यम
से UN SC में सुधार की
पेशकश करता है।



4) 1945 की व्यवस्था और
2019 की विश्व व्यवस्था में
अल्पसंख्यक अंतर था या नहीं
है।

भारत

- अल्पसंख्यक जनसंख्या वाला
- सबसे बड़ा लोकतंत्र
- ~~अभयक्षेत्र~~
- उभरती हुई महाशक्ति
- UN Peace Keeping force



drishti



में 'नवीचि' योजका

विलंब के कारण

- ① समयिक प्रतिबद्धता का अभाव
UN महासभा से 75% वोट से पास होना होगा
- ② P-5 देश अपने अधिकारों में कटौती के पक्ष में नहीं
- ③ Veto power - सबकी मुझे पर मतभेद

सारांशतः UNSC में सुधार
 अनुपस्थित है अगर संयुक्त राष्ट्र
 आधुनिक समय में अपनी
 प्रासंगिकता बनाए रखना चाहता
 है तो इस धोरण ध्यान
 दिया जाना चाहिए

उम्मीदवार को
 हाशिये में नहीं
 चाहिये।
 (Candidate must
 write on this ma